



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-24112025-267934
CG-BR-E-24112025-267934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/ कार्तिक 30, 1947

No. 5142]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/ KARTIKA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

पटना, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5318(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक परियोजना के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपबद्ध में दिया गया है, झारखंड राज्य में “ROR at Patratu” निर्माण परियोजना हेतु मौजा संकुल अपेक्षित है, का अधिग्रहण किया जाएगा।

उक्त भूमि के हितवद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसी आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, रामगढ़ , झारखंड राज्य को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भू -अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर वर्णित किय जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यावसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा

अनुसूची

"झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिला मे रेलवे परियोजना के तहत Land Acquisition Plan of ROR at Patratu Under Dy.CE/Con/Barkakana in Dhanbad Division of Eastern Central Railway Under Special Railway Project परियोजना के निर्माण हेतु रामगढ़ जिला अन्तर्गत आने वाली अधिग्रहित भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण"

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	मौजा का नाम	खाता नं०	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	रकबा हेक्टेयर	रकबा एकड़
1	रामगढ़	पतरातू	सांकुल	23	292	रैयती	टांड-2	0.1490	0.3681
2				5	296	रैयती	टांड-2	0.1870	0.4620
3				29	297	रैयती	टांड-2	0.0670	0.1655
4				26	298	रैयती	टांड-2	0.1650	0.4076
5				23	299	रैयती	टांड-2	0.0016	0.0040
6				39	300	रैयती	टांड-2	0.0133	0.0329
7				39	303	रैयती	टांड-2	0.0796	0.1966
8				37	334	रैयती	टांड-2	0.0178	0.0440
9				23	289	रैयती	टांड-2	0.0018	0.0044
10				-	293	गैरमजरुआ खास	-	0.5552	1.3720
11				30	294	गैरमजरुआ खास	परती कदीम	0.2725	0.6734
12				6	295	गैरमजरुआ खास	परती कदीम	0.0409	0.1010

13				351	322	गैरमजरुआ खास	जंगल	0.0597	0.1475
14				351	290	गैरमजरुआ खास	परती कदीम	0.1310	0.3237

[फा. सं. L.No.- DCE/Con/BRKA/LA/ROR Patrattu/Sankul]
रामाश्रय पांडेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण /दक्षिण

MINISTRY OF RAILWAYS
(EAST CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Patna, the 14th November, 2025

S.O. 5318(E).— Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), and after being satisfied that the land, the brief description of which is given in the Schedule appended hereto, is required for a public purpose, namely, for the construction project of “ROR at Patrattu” in the State of Jharkhand, it is hereby declared that the said land in Mouza Sankul is to be acquired.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Authority, Ramgarh, Jharkhand State, and shall state the grounds on which it is based. The Competent Authority shall provide the objector an opportunity of being heard in person or through a legal practitioner, and after hearing all such objections and making such further enquiry, if any, as it deems necessary, may, by order, either allow or disallow the objections.

Every such objection, under sub-section (1) of Section 20D of the said Act, relating to the acquisition and use of land for the aforesaid purpose, shall be submitted in writing to the Competent Authority, i.e., the Land Acquisition Officer, Ramgarh, and shall clearly state the grounds thereof. The Competent Authority shall provide the objector an opportunity of personal hearing or representation through a legal practitioner and, after examining all objections and making such further inquiry as it considers necessary, may pass an order either admitting or rejecting such objections.

Schedule

"Land Acquisition Plan of ROR at Patrattu Under Dy. CE/Con/Barkakana in Dhanbad Division of Eastern Central Railway Under Special Railway Project in Ramgarh District of Jharkhand State. Brief description of the acquired land falling under Ramgarh District for the construction of the Project, with or without structure.

Sr. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Mouza	Khata No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Area (in Acre)
1	Ramgarh	Patrattu	Sankul	23	292	Raiyati	Tand-2	0.1490	0.3681
2				5	296	Raiyati	Tand-2	0.1870	0.4620
3				29	297	Raiyati	Tand-2	0.0670	0.1655
4				26	298	Raiyati	Tand-2	0.1650	0.4076
5				23	299	Raiyati	Tand-2	0.0016	0.0040
6				39	300	Raiyati	Tand-2	0.0133	0.0329

7				39	303	Raiyati	Tand-2	0.0796	0.1966
8				37	334	Raiyati	Tand-2	0.0178	0.0440
9				23	289	Raiyati	Tand-2	0.0018	0.0044
10				-	293	Gairmanzrua Khas	-	0.5552	1.3720
11				30	294	Gairmanzrua Khas	Parati Kadeem	0.2725	0.6734
12				6	295	Gairmanzrua Khas	Parati Kadeem	0.0409	0.1010
13				351	322	Gairmanzrua Khas	Forest	0.0597	0.1475
14				351	290	Gairmanzrua Khas	Parati Kadeem	0.1310	0.3237

[F. No. DCE/Con/BRKA/LA/ROR Patratu/Sankul]

RAMASHRAY PANDEY, CAO/Construction/South